Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में भू–अभिलेख निरीक्षक को 8 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *31 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जैसेलमेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज गुरूवार को लक्ष्मणसिंह भू–अभिलेख निरीक्षक सत्याया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर को 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि फसल बीमा एवं गिरदावरी में इन्द्राज कर क्लेम हेतु बीमा कम्पनी को नाम भिजवाने की एवज में आरोपी लक्ष्मणसिंह भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा 8 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जैसलमेर के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनिल पुरोहित** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **लक्ष्मणसिंह** पुत्र श्री ज्ञानसिंह निवासी फलसुण्ड तहसील भणीयाणा, जिला जैसलमेर हाल **भू–अभिलेख निरीक्षक सत्याया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर** को परिवादी से 8 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वाजिब कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपी लक्ष्मण सिंह